सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 86 राँची, शुक्रवार, 10 फरवरी, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग,

संकल्प

31 जनवरी, 2020

संख्या-5/ आरोप-1-198/2017-663 (HRMS)-- श्री सुबोध कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला- हजारीबाग), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा के विरूद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-751/स्था0, दिनांक 13.12.2017 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। साथ ही, उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-752/स्था0, दिनांक 14.12.2017 द्वारा निलंबित करने की अनुशंसा की गयी। पुनः उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-300/स्था0, दिनांक 10.05.2018 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप प्रतिवेदित किया गया कि श्री कुमार दिनांक 06.09.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से बिना सूचना के अपने कर्तव्य से अनुपस्थित है। उपायुक्त, चतरा द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्री कुमार को दिनांक 07.02.2018 तक उपस्थित होने एवं अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का निदेश दिया गया, परन्तु श्री कुमार अपने कर्तव्य से अनुपस्थित हैं।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-1070(hrms), दिनांक 25.07.2018 द्वारा श्री कुमार को निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग निर्धारित किया गया तथा विभागीय पत्रांक-5943, दिनांक 07.08.2018 द्वारा इनसे स्पष्टीकरण की माँग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री कुमार द्वारा अपने पत्र, दिनांक 06.08.2018 एवं दिनांक 21.08.2018 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7309, दिनांक 27.09.2018 द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-839/स्था0, दिनांक 08.12.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, चतरा के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, निम्नांकित निर्णय लिया गया-

(क) श्री सुबोध कुमार, झा0प्र0से0, तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा, सम्प्रति-निलंबित को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

(ख) श्री कुमार के विरूद्ध सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

(ग) निलंबन अवधि के दौरान श्री कुमार को जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त और कोई भुगतान देय नहीं होगा, परन्तु निलंबन अवधि की गणना पेंशन के प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गई अवधि के रूप में मान्य होगी।

(घ) उक्त दण्ड के विरूद्ध श्री कुमार के पत्र, दिनांक 26.12.2019 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरांत, इनके अपील अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इनके विरूद्ध अधिरोपित सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv)के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक के स्थान पर असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	**Employee Name G.P.F. No.**	**Decision of the Competent authority**
1	**2**	**3**
1	SUBODH KUMAR 110081163092	श्री सुबोध कुमार, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-हजारीबाग), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, चतरा के अपील अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए इनके विरूद्ध अधिरोपित सेवा सम्पुष्टि की अर्हता की तिथि से झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv)के तहत् असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक के स्थान पर असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 86 -- 50